Seventeenth Loksabha

an>

Title : Need to rename ‘High Court of Bombay’ as ‘Maharashtra High Court’

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): महोदय, महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1960 में एक आदेश जारी किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ‘बॉम्बे उच्च न्यायालय’ अब से ‘महाराष्ट्र उच्च न्यायालय’ के रूप में जाना जाएगा, लेकिन इस आदेश को लागू नहीं किया गया। वर्ष 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम वही रहा। चूंकि, बॉम्बे नामक शहर अब मौजूद ही नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट, बॉम्बे के नाम पर ही है, जो उचित नहीं है।

‘महाराष्ट्र’ राज्य का उच्चारण एक महाराष्ट्रियन के जीवन में विशेष महत्व को दर्शाता है। अत: इसके उपयोग को उच्च न्यायालय के नाम में भी अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र के लोगों की विशिष्ट संस्कृति, विरासत और परंपराओं के संरक्षण के लिए महाराष्ट्र अनुकूलन कानून (राज्य और समवर्ती विषय) आदेश 1960 के एक खंड के कार्यान्वयन के लिए ‘बॉम्बे हाई कोर्ट’ का नाम बदलकर ‘महाराष्ट्र हाई कोर्ट’ किया जाना नितांत आवश्यक है।

इस संदर्भ में यह भी दृष्टव्य है कि ‘बॉम्बे हाई कोर्ट’ का नाम महाराष्ट्र हाई कोर्ट किए जाने वाली एक जनहित याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में 03-11-2022 में कहा है कि इस मामले में संसदीय प्रक्रिया है। अत: इसमें न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और तथापि यदि ऐसा परिवर्तन किया जाना है, तो इसे संसदीय या विधायी निकाय के माध्यम से किया जाना चाहिए। अत: भारतीय संविधान (भाग-6 राज्य) के अध्याय 5 – राज्यों के उच्च न्यायालय के अनुच्छेद-214 ‘प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा’ के स्थान पर ‘प्रत्येक राज्य के लिए राज्य के नाम से एक उच्च न्यायालय होगा’ अंत: स्थापित किए जाने हेतु संशोधन किया जाए और साथ ही अन्य राज्यों के संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए जाएं कि वे अपने उच्च न्यायालयों के नाम उन राज्यों के नाम के अनुसार बदलें, जहां वे स्थित हैं।